न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
76 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	17.08.2015	13.07.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक
2–श्री श्रवण कुमार गुप्ता प्रो. मेसर्स गोविन्द एन्टरप्राइजेज डी–11 चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर निवासी 19 पंचवटी कॉलोनी झोटवाडा जयपुर
3–श्री मधुसूदन मारू सोल प्रोपरायटर मैसर्स मधुसूदन मुरारीलाल ए–10 चॉदपोल अनाज मण्डी जयपुर निवासी ए–27 महेश कॉलोनी टोंक रोड जयपुर
4–श्री मनीष श्रीवास्तव पुत्र श्री अरूण श्रीवास्तव नॉमिनी मैसर्स विपिन काला नमक फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जी.टी. रोड, कदराबाद मोदी नगर, गाजीयाबाद उत्तर प्रदेश निवासी मकान नं. 550/1 गली नं. 5 सन्तपुरा मोदी नगर सारा गोविन्दपुरी मोदी नगर गाजियाबाद उत्तरप्रदेश

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 13.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.03.2015 को समय सायं 04:59 पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर मनोज कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना बताया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **काला नमक (लॉयन ब्राण्ड) पॉली पैक (Black Salt Lion Brand Poly Pack)** के 1 किलोग्राम के 40 नग पॉलिथीन में रखा हुआ था, जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री मनोज कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री मनोज कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **काला नमक (लॉयन ब्राण्ड) पॉली पैक (Black Salt Lion Brand Poly Pack)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 4 नग कुल 4 किलोग्राम खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **काला नमक (लॉयन ब्राण्ड) पॉली पैक (Black Salt Lion Brand Poly Pack)** 4 नग कुल 4 किलोग्राम को एक–एक किलोग्राम चार प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर डिब्बों को नियमानुसार एयर टाइट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–936 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–936 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक राज. मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन ने आवेदक के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर दिनांक 06.04.2015 को मेसर्स गोविन्द एन्टरप्राइजेज डी–11 चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत किया। वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मेसर्स गोविन्द एन्टरप्राइजेज डी–11 चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स मधुसूदन मुरारीलाल ए–10 चॉदपोल अनाज मण्डी जयपुर का बिल प्रस्तुत किया। पुनः आवेदक ने मैसर्स मधुसूदन मुरारीलाल ए–10 चॉदपोल अनाज मण्डी जयपुर को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स विपिन काला नमक फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जी.टी. रोड, कदराबाद मोदी नगर, गाजीयाबाद उत्तर प्रदेश का बिल प्रस्तुत किया जिसे पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1369 दिनांक 22.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/197/[illegible]/2015/197 दिनांक 08.04.2015 अनुसार विक्रेता श्री मनोज कुमार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **काला नमक (लॉयन ब्राण्ड) पॉली पैक (Black Salt Lion Brand Poly Pack) मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **काला नमक (लॉयन ब्राण्ड) पॉली पैक (Black Salt Lion Brand Poly Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री जितेन्द्र जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा। आज जवाब पेश किया। जवाब का अवलोकन किया गया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **काला नमक (लॉयन ब्राण्ड) पॉली पैक (Black Salt Lion Brand Poly Pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **काला नमक (लॉयन ब्राण्ड) पॉली पैक (Black Salt Lion Brand Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रूपये 75,000/– (अक्षरे पचहत्तर हजार रू0), अप्रार्थी सं. 2 पर शास्ति रूपये 1,25,000/– (अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 पर शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 4 पर शास्ति रूपये 4,00,000/–(अक्षरे चार लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0